न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ–सह–
विशेष उत्पाद न्यायालय–प्रथम,लखीसराय।
बी0पी0 संख्या–2260/2022
चानन थाना कांड संख्या–150/2022

रवि कुमार————————————————————————————————————आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य——————————————————————————————————विपक्षी।

धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री रमेश प्रसाद सिंह।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री कृष्णा चौधरी।

आदेश

10.11.2022– दिनांक 10.10.2022 से काराधीन अभियुक्त **रवि कुमार** की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो **चानन थाना कांड संख्या–150/2022**, अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है, को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान की गयी है।

इस काण्ड का सारांश इस प्रकार है कि सूचक पु0अ0नि0 अमित कुमार हैं जो घटना के समय चानन थाना में पदस्थापित थे। दिनांक–09.10.2022 को सूचनानुसार सूचक अपने सहयोगियों के साथ बेलदरिया डमरू मोड़ के पास सड़क पर समय 12:30 बजे जैसे ही पहुंचे कि एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति एवं एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देखते ही भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ा गया। पकड़ायें तीनों व्यक्तियों से नाम पूछने पर अपना–अपना नाम मुकेश कुमार, रवि कुमार एवं बजरंगी कोड़ा बताया। रवि कुमार एवं मुकेश कुमार के पास से एक काला रंग का पुराना हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल इंजन संख्या–HA10ENCGE58757 के सीट पर बीच में एक पीला रंग का प्लास्टिक का बोरा की तलशी लिया गया तो बोरा के अंदर में उजला रंग का तीन पॉलिथिन में 10–10 लीटर कुल 30 लीटर देशी महुआ शराब भरा हुआ था। उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में कागजात की मांग किया गया तो मुकेश कुमार बोला कि कोई कागजात नहीं है एवं किसी व्यक्ति का पुराना खरीदे हैं। बजरंगी कोड़ा के पास से एक काला रंग का पुरा हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल पंजीयन संख्या–BR53A-8156 के सीट पर रस्सी बांधा हुआ एक उजला रंग का ट्यूब ब्लाडर में करीब 20 लीटर देशी महुआ शराब भारा हुआ था, मोटरसाइकिल के संबंध में कागजात की मांग किये तो कोई कागजात नहीं दिखाये एवं बोले कि राजेन्द्र कोड़ा का मोटरसाइकिल है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से पूर्व में कोई भी जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के कब्जे से कोई भी लीटर शराब की बरामदगी नहीं की गई है। आवेदक का जप्त मोटसाइकिल से कोई सरोकार नहीं है। आवेदक मजूदर है तथा मार्बल का काम बंगलुरू में करता है तथा दुर्गा पूजा की त्यौहार में वह घर आया था तथा पुलिस के द्वारा

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ–सह–
विशेष उत्पाद न्यायालय–प्रथम,लखीसराय।
बी0पी0 संख्या–2260/2022
चानन थाना कांड संख्या–150/2022

लगातार......
10.11.2022
प्रस्तुत वाद में फसा दिया गया। आवेदक दिनांक–10.10.2022 से न्यायिक हिरासत में हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि इनको जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन पदाधिकारी इस नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों का बहस सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन द्वारा कंडिका–35 दिनांक–28.10.2022 तक की वाद दैनिकी दाखिल किया गया है, जिसके कंडिका–12 में यह उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित थाना में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन के कंडिका–3 में भी यह उल्लिखित किया गया है कि इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त एवं सह–अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल (बिना कागज तथा नंबर का) और 30 लीटर देशी महुआ शराब की बरामदगी की गई है, जिसकी जिक्र प्राथमिकी में है तथा इसका समर्थन वादी के पुनर्बयान एवं साक्षियों के बयानों कंडिका–03, 05, 06 एवं 07 में भी मुखरता से किया गया है। आवेदक और सह–अभियुक्त मुकेश कुमार एक साथ तीस लीटर देशी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार हुये थे, जिनके पास से बिना नंबर प्लेट का एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ था, जिसके संबंध में कंडिका–34 में उल्लेख है कि जमुई जिले के किसी अंकित राज का वह मोटरसाइकिल है। आवेदक का कहना है कि वाद के जपत मोटरसाइकिल से उनका कोई सरोकार नहीं है। इस विशेष अनन्य उत्पाद न्यायालय में लंबित वादों में बहुतेरे ऐसे वाद दिखे हैं, जिसमें अभियुक्त अवैध शराब के तस्करी चारी के वाहन से करते हुये पाये गये हैं और कई वादों में तो अभियुक्त शराब एवं चोरी के वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर भाग जाने में भी सफल हुये हैं और कुछेक वादों में तो वाहन स्वामी को ही अभियुक्त एवं अज्ञात को अभियुक्त बनाकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछेक वादों में यह भी पाया गया है कि अनुसंधानकर्ता वाहन स्वामी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं और कालांतर में अग्रेतर अनुसंधान में यह सामने आयी है कि बाद में वाहन घटना के काफी पूर्व ही चोरी कर ली गई है। न्यायालय में लंबित कई वाद शुरूआत में धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुआ है और अभियुक्त के काराविधि के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रारंभ में धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक आरोप पत्र समर्पित किया गया और पूरक अनुसंधान जारी रखा गया, वैसे वादों में आरोप गठन भी धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत हुआ है और वाद अभियोजन के साक्ष्य पर चल पड़ा।

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ–सह–
विशेष उत्पाद न्यायालय–प्रथम,लखीसराय।
बी0पी0 संख्या–2260/2022
चानन थाना कांड संख्या–150/2022

लगातार......
10.11.2022
बाद में, पूरक अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा धारा–414 भा0द0वि0 के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया है और तब अभियोजन के द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है कि वाद में आरोप को रूपांतरित किया जाय। शराब की तस्करी का मामला वैसे ही गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाता है और वाहन चोरी करते हुये अथवा चोरी के वाहन का इस्तेमाल करके शराब की तस्करी निश्चित रूप से अपराध की गंभीरता को कई आयामों में अत्यंत गंभीर बनाता है। प्रस्तुत वाद अनुसंधान में जप्त मोटरसाइकिल के निश्वत अंकित राज के बयान सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर लंबित है।

अतः उपरोक्त तथ्य, परिस्थिति एवं विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त **रवि कुमार** का जमानत आवेदन **खारिज एवं निस्तारित** किया जाता है तथा आवेदक अभियुक्त को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे प्रस्तुत वाद का अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् पुनः नवीन जमानत आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

कार्यालय आदेश की एक प्रति संबंधित मूल अभिलेख में संलग्न करें एवं नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अ0 जि0 एवं सत्र न्या0, चतुर्थ
–सह–विशेष उत्पाद न्यायालय, प्रथम
लखीसराय।
दिनांक–10.11.2022